	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्साजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5/2, 5/4 ता 13 के सम्मन डाक द्वारा रसीदें पेश की गई। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5/2, 5/4 ता 13 अनुपस्थित। दोनों पक्षों से प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है व हिन्दूविधि से शासित हैं। प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त व पैतृक कब्जा काश्त की भूमि मौजा भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 943/3 रकबा 17–01 बीघा, मौजा मोखावा में खसरा नम्बर 373/5 रकबा 46–04 बीघा, खसरा नम्बर 365 रकबा 20–16 बीघा, खसरा नम्बर 365/2 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 371/4 रकबा 4–08 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 167–02 बीघा की आई हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीनीगण के दादा है। उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीनीगण का उक्त आराजी में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। जिसमें प्रार्थीनीगण का 1/4 व 1/16 हिस्सा निहित है एवं अपने 1/4 व 1/16 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीनीगण अपनी माता के साथ उक्त अपने हिस्से की भूमि में ढाणियां आदि बनाकर निवास कर रही हैं। प्रार्थीनीगण के पिता की विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने मिलकर हत्या कर दी थी जिसका पुलिस थाना गुड़ामालानी में धारा 302 आई.पी.सी. प्रकरण विचाराधीन है। इस मुकदमा के अदावदी विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीनीगण के हक हिस्से की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचानकर प्रार्थीनीगण को बेदखल करने पर आमादा है। तथा 14–16 बीघा भूमि का दान पत्र भी निष्पादित कर दिया गया है। इस प्रकार विप्रार्थी पैतृक भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा पुष्ट की जावे। इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 373 की भूमि प्रतिवादी पेमाराम की स्वअर्जित भूमि है, इस भूमि में पेमाराम के जीवनकाल में प्रार्थीनीगण के हक हिस्से निहित नहीं होते हैं। इसलिये इस खसरा की भूमि में प्रार्थीनीगण विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थगन पाने की अधिकारिणी नहीं है। अतः विरूद्ध विप्रार्थीगण जारी की गई निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावे। विप्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए वकील प्रार्थीनीगण ने निवेदन किया कि खसरा नम्बर 373 की भूमि प्रतिवादी पेमाराम की स्वअर्जित भूमि है। स्वअर्जित भूमि में पिता के जीवनकाल में पुत्र–पुत्रीयों का नहीं होता है परन्तु पौत्र–पुत्रियों के हक अवश्य निहित होते हैं। प्रार्थीनीगण प्रतिवादी संख्या 1 पेमाराम की पौत्रियां होने से इस स्वअर्जित भूमि में भी प्रार्थीनीगण के हक निहित हैं। इसलिये ता–फैसला स्थगन पुष्ट किया जावे। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी 2017(1) 522, आर.आर. टी. 2016–17 (पूरक) 670, आर.आर.टी 2017(1) 607, आर.आर.टी. 2011(1) 403, आर.आर.टी 2012(1) 232 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं वकील प्रार्थीनीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 373 के अतिरिक्त शेष खसरान की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थीनीगण स्व0 पप्पूराम पुत्र पेमाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने से खसरा नम्बर 373 के अतिरिक्त शेष खसरान की पैतृक भूमि में प्रार्थीनीगण के हक–हिस्से निहित है। परन्तु खसरा नम्बर 373 की भूमि प्रतिवादी पेमाराम की स्वअर्जित भूमि होने के कारण विप्रार्थी पेमाराम के जीवनकाल में प्रार्थीनीगण के हक निहित नहीं होने से इस खसरा की भूमि में प्रार्थीनीगण विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। प्रार्थीनीगण के हक हिस्सों का निर्धारण मूल वाद पत्रावली पर होगा। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 373 की भूमि विप्रार्थी पेमाराम की स्वअर्जित भूमि है, इस तथ्य को प्रार्थीनीगण ने भी अपनी बहस में स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 29.09.2017 में ग्राम भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 373/5 रकबा 46–04 बीघा की भूमि को स्थगन से मुक्त किया जाकर शेष आराजी ग्राम भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 943/3 रकबा 17–01 बीघा, मौजा मोखावा के खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 20–16 बीघा, खसरा नम्बर 365/2 रकबा 0–06 बीघा, खसरा नम्बर 371/4 रकबा 4–08 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 167–02 बीघा की भूमि में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.09.2017 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:02:28 IST
Reason: SelfAttested